# झारखण्ड सरकार
## वन एवं पर्यावरण विभाग

आ0आ0सं–04/यो0बजट–72/2015– 52/आ0 व0प0 राँची, दिनांक :– 8.07.2015

प्रेषक,

सुखदेव सिंह,
सरकार के प्रधान सचिव।

सेवा में,

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची।

विषय :– **वित्तीय वर्ष 2015–16 से 2018–19 तक कार्यान्वित की जाने वाली "पथतट रोपण–सह–शहरी वानिकी योजना" (अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना) के अंतर्गत बाँस गैबियन से वृक्षारोपण का अग्रिम कार्य एवं तीन वर्षों के लिए समापन एवं सम्पोषण कार्यों के लिए कुल 728.374 लाख (सात करोड़ अठाइस लाख सैंतीस हजार चार सौ रुपये) मात्र की स्वीकृति प्रदान करते हुए वित्तीय वर्ष 2015–16 में अग्रिम कार्य हेतु 304.498 लाख (तीन करोड़ चार लाख उनचास हजार आठ सौ रुपये) मात्र का आवंटन निर्गत करने के संबंध में।**

प्रसंग :– वन विभागीय पत्रांक 4/यो0बजट–72/2015–23/स्वी० व0प0 दिनांक 01.07.2015

महाशय,

उपर्युक्त विषय एवं प्रसंग के संबंध में कहना है कि प्रासंगिक स्वीकृत्यादेश के द्वारा वित्तीय वर्ष 2015–16 से 2018–19 तक कार्यान्वित की जाने वाली "पथतट रोपण–सह–शहरी वानिकी योजना" (अनुसूचित ज़ातियों के लिए विशेष घटक योजना) के अंतर्गत बाँस गैबियन से वृक्षारोपण का अग्रिम कार्य एवं तीन वर्षों के लिए समापन एवं सम्पोषण कार्यों के लिए कुल 728.374 लाख (सात करोड़ अठाइस लाख सैंतीस हजार चार सौ रुपये) मात्र की स्वीकृति प्रदान करते हुए वित्तीय वर्ष 2015–16 में अग्रिम कार्य हेतु 304.498 लाख (तीन करोड़ चार लाख उनचास हजार आठ सौ रुपये) मात्र की स्वीकृति प्रदान की गयी है।

2. तदनुसार उक्त स्वीकृत राशि के विरुद्ध निम्न वर्णित लघुशीर्ष अंतर्गत/इकाईवार कुल 304.498 लाख (तीन करोड़ चार लाख उनचास हजार आठ सौ रुपये) मात्र की राशि आवंटित की जाती है :–

*(राशि लाख रुपये में)*

| क्र0 सं0 | योजना का नाम | प्राथमिक इकाई | विपत्र कोड | बजटीय उपबंध | वित्तीय वर्ष 2015–16 में अबतक आवंटित राशि | स्वीकृत राशि | वर्त्तमान आवंटित राशि |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | "पथतट रोपण–सह–शहरी वानिकी योजना" | मजदूरी | 19P240601789130103 | 1289.990 | 619.325 | 154.152 | 154.152 |
| | | आपूर्ति एवं सामग्री | 19P240601789130323 | 362.710 | 212.363 | 150.346 | 150.346 |
| कुल राशि | | | | **1652.700** | **831.688** | **304.498** | **304.498** |

ऑन–लाईन आवंटन की प्रति संलग्न है।

3. प्रासंगिक व्यय वित्तीय वर्ष 2015–16 में कार्यान्वित की जानेवाली "पथतट रोपण–सह–शहरी वानिकी योजना" (अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना) मुख्य शीर्ष 2406– वानिकी एवं वन्य जीवन, उप मुख्य शीर्ष–01 वानिकी, लघु शीर्ष– 789 अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना, उप शीर्ष–13–पथ तट रोपण–सह–शहरी वानिकी योजना अन्तर्गत विकलनीय होगा।

4. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास द्वारा इस योजनांतर्गत राशि का उप आवंटन आवंटित राशि के अन्तर्गत ही सीमित रखा जायेगा।

5. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की यह जिम्मेवारी रहेगी, अगर वे देखें कि यदि कोई ऐसी योजना का कार्य के विरुद्ध राशि का व्यय किया जा रहा है, जिसे दूसरे स्रोत से राशि मिल रही है या मिलने जा रही है, तो इसकी निकासी रोककर इसके निराकरण हेतु सूचना संबंधित पदाधिकारी या विभाग को तुरंत देंगे।

6. वित्त विभाग के पत्रांक–2561 दिनांक–17.04.1998 के आलोक में निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि किसी भी परिस्थिति में आवंटित राशि से अधिक की निकासी एवं व्यय नहीं किया जायेगा तथा एतद् संबंधी–पत्र–परिपत्र का अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।

7. सभी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों द्वारा राशि की निकासी एवं व्यय कोषागार संहिता के नियम सं0–300 एवं वित्त विभाग द्वारा समय–समय पर निर्गत सुसंगत दिशा–निर्देशों के अनुरुप करना सुनिश्चित किया जायेगा।

8. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा Account Code Vol (III) की धारा 288 के अनुसार अपने कार्यालय का मासिक लेखा आगामी माह की 5वीं तारीख तक महालेखाकार कार्यालय में जमा करना सुनिश्चित किया जायेगा तथा लेखा का त्रैमासिक Reconciliation ससमय निश्चित रुप से कराना सुनिश्चित किया जायेगा।

9. स्वीकृत्यादेश में निहित समस्त दिशा–निर्देशों का ससमय अनुपालन अक्षरशः सुनिश्चित किया जायेगा।

10. इस राशि का आवंटन मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग, झारखण्ड की अधिसूचना संख्या–301 दिनांक–11.03.2015 के आलोक में निर्गत किया जा रहा है।

विश्वासभाजन,

अनु०–यथोक्त।

52/झा०
8.7.2015

(सुखदेव सिंह)
सरकार के प्रधान सचिव।

झारखण्ड सरकार

# आवंटन आदेश

## झारखंड सरकार

FOREST & ENVIRONMENT DEPARTMENT

चालू वित्तीय वर्ष 2015-16 में व्यय हेतु निम्नांकित दर्शाए गए बजट शीर्ष के सामने अंकित राशि आवंटित की जाती है

पत्र संख्या - 4/YB-72/2015/52A

दिनांक - 08-Jul

| क्रमांक | विपत्र कोड | एक्सेस नं0 | निकासी एवं व्ययन पदा. | आवंटित राशि |
|---|---|---|---|---|
| 1 | P 19 240601789130103<br>2406 . वानिकी तथा वन्य जीवन<br>01 . वानिकी<br>789 . अनुसूचित जातियों के लिये विशेष अंगीकृत<br>13 . पथ तट रोपण-सह-शहरी वानिकी<br>01 . वेतन एवं भत्ते<br>03 . मजदूरी | 46176 | DRNFWL056<br>SHRI.Y.K.SINGH CHAUHAN IFS ADDI.PCCF.DEV.JHARKHAND RANCHI | 15,415,200.00<br>रुपये एक करोड चौपन लाख पंद्रह हजार दो सौ |
| 2 | P 19 240601789130323<br>2406 . वानिकी तथा वन्य जीवन<br>01 . वानिकी<br>789 . अनुसूचित जातियों के लिये विशेष अंगीकृत<br>13 . पथ तट रोपण-सह-शहरी वानिकी<br>03 . प्रशासनिक व्यय<br>23 . आपूर्ति एवं सामग्री | 46171 | DRNFWL056<br>SHRI.Y.K.SINGH CHAUHAN IFS ADDI.PCCF.DEV.JHARKHAND RANCHI | 15,034,600.00<br>रुपये एक करोड पचास लाख चौंतीस हजार छः सौ |

योग: 30,449,800.00

क्रमिक योग: रुपये तीन करोड चार लाख उनचास हजार आठ सौ

(SUKHDEV SINGH)

PRINCIPAL SECRETARY



172.16.20.1

Run Date: 8/7/2015